

01.08.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र में आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहती। प्रार्थना-पत्र विद्वा फरवाया जावे। वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल दफतर हो।

कि
ग है
कि
जद
f

Web Copy - Not Official



सहायक कलक्टर
एन. उमथाप्पा
क्याभगवद